स्पीड पोस्ट

सर्वोच्च प्राथमिकता

प्रेषक,

चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त–

1– जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, उत्तर प्रदेश।
2– उप संचालक चकबन्दी, उत्तर प्रदेश।
3 बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी/सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, उत्तर प्रदेश।
4– चकबन्दी अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्बन्धित बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, उत्तर प्रदेश।

संख्या– 5812/**जी0–415/2009** **दिनांक–** 27 **मई,2009**

विषय– धारा 52(1) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 के अधीन विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् चकबन्दी प्राधिकारियों द्वारा पारित न्यायिक आदेशों का नियम 109क(1) व (2) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली 1954 के अधीन कार्यान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

नियम 109क उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली 1954 के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च,2009 को लम्बित मामलों की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि विभिन्न जनपदों में भारी संख्या में पिछले काफी समय से ऐसे मामले लम्बित हैं। हलांकि जनपदों/इकाईयों से प्राप्त मासिक विवरण प्रसूचना में ऐसे मामलों की संख्या 4384 दर्शायी गयी है, किन्तु मुख्यालय पर व शासन में प्राप्त होने वाली सामान्य शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में यह संख्या सही प्रतीत नहीं होती है तथा सम्भावना है कि या तो बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दीगण इन लम्बित मामलों की सही सूचना नहीं दे रहे हैं या फिर नामित चकबन्दी अधिकारीगण द्वारा मामलों को पंजीबद्ध ही नहीं किया गया है और आंशिक रूप से ही मामले पंजीबद्ध करके प्रगति विवरण में दर्शाये जा रहे हैं। दोनों ही स्थिति आपत्तिजनक हैं।

2. अतः समस्त जनपदों में नियम 109क के अन्तर्गत प्राप्त आदेशों के कार्यान्वयन हेतु जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी के स्तर से नामित चकबन्दी अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे नियम 109क के अन्तर्गत

प्राप्त एवं लम्बित समस्त प्रकरणों को 15 जून,2009 तक पंजीबद्ध कर लें। उसके पश्चात् सम्बन्धित जनपद के उप संचालक चकबन्दी द्वारा उक्त नामित चकबन्दी अधिकारी के कार्यालय/न्यायालय/अन्य कार्य स्थल का शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन कर निदेशालय को ऐसे वर्षवार लम्बित मामलों का संलग्न प्रारूप पर 25 जून,2009 तक विवरण उपलब्ध कराया जाय।

3. यह भी संज्ञान में आया है कि नामित चकबन्दी अधिकारीगण नियम 109क के अन्तर्गत प्राप्त सभी प्रकरणों को एक ही पंजिका में पंजीबद्ध कर रहे हैं, भले ही वह प्रकरण नियम 109क(1) से आच्छादित हो अथवा नियम 109क(2) से अवगत हैं कि उक्त दोनों उपनियमों की प्रकृति भिन्न है। नियम 109क(1) में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित ऐसे आदेश आते हैं, जिनके कार्यान्वयन हेतु नामित चकबन्दी अधिकारी द्वारा पक्षकारों को किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर दिये जाने का न तो प्राविधान है और न ही आवश्यकता है। अतः ऐसे मामलों को एक पंजिका में पंजीबद्ध कर बिना किसी विलम्ब के उसका कार्यान्वयन कर दिया जाना चाहिए। नियम 109क(2) के अन्तर्गत ऐसे आदेश शामिल हैं, जिनके कार्यान्वयन के लिए प्रभावित चकों का पुनः प्रदेशन करना आवश्यक हो। ऐसे प्रकरणों में नामित चकबन्दी अधिकारी अथवा तहसीलदार जैसी भी स्थिति हो, द्वारा सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरान्त ही कार्यान्वयन किया जायेगा। अतः इन मामलों को अलग पंजिका में पंजीबद्ध किया जाना चाहिए।

4. अवगत हैं कि धारा 52(1) की विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक को सक्षम चकबन्दी न्यायालय में लम्बित वादों/अपीलों/निगरानियों में जो भी आदेश पारित किये जाते हैं, उन्हीं का कार्यान्वयन उपरोक्त नियम 109क के अन्तर्गत किया जाता है। सक्षम न्यायालय द्वारा जो भी न्यायिक आदेश पारित किये जाते हैं, उनके कार्यान्वयन हेतु परवाना अमलदरामद सम्बन्धित चकबन्दी अधिकारी अथवा तहसीलदार जैसी भी स्थिति हो, को जारी किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि इस प्रकार के आदेशों के कार्यान्वयन हेतु पक्षकारों द्वारा अलग से कोई आवेदन करने की बाध्यता नहीं है, फिर भी यदि पक्षकारों द्वारा कोई आदेशपत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए।

5. सक्षम न्यायालय द्वारा परवाना अमलदरामद जारी हो जाने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका कार्यान्वयन तत्परता से किया जाना अपेक्षित है, अतः

ऐसी दशा में नियम 109क के अन्तर्गत भारी संख्या में प्रकरणों के लम्बित रहने का कोई औचित्यपूर्ण कारण नजर नहीं आता है, सिवाय इसके कि सम्बन्धित चकबन्दी अधिकारी/तहसीलदार द्वारा उसे जानबूझकर या लापरवाही से लम्बित रखा गया है। दोनों ही स्थिति आपत्तिजनक है। अतः इस स्थिति के निराकरण हेतु यह निर्देशित किया जाता है कि कोई भी सक्षम चकबन्दी न्यायालय किसी वाद पत्रावली को तब तक अभिलेखागार में संचित (दाखिल दफ्तर) नहीं करेगा, जब तक कि आदेश का अमलदरामद अभिलेखों में न हो जाये तथा अमलदरामद के पश्चात् अनुपालन आख्या न्यायालय में प्राप्त नहीं हो जाती और अनुपालन आख्या को सम्बन्धित वाद पत्रावली में शामिल नहीं कर दिया जाता।

6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर प्रस्तर 2 में अपेक्षित सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर उसका पुनः सत्यापन (Cross Checking) मुख्यालय के अधिकारी अथवा अन्य जनपद के उप संचालक चकबन्दी से कराया जाये। अतः समस्त सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक–प्रारूप।

भवदीय

27-5-2009

(एन0 एस0 रवि)
चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– चकबन्दी निदेशालय के समस्त अधिकारीगण को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग–8, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(एन0 एस0 रवि)
चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

नियम 109क के अन्तर्गत लम्बित प्रकरणों का विवरण

माह मई,2009 की स्थिति के अनुसार

जनपद का नाम	नियम 109क के अन्तर्गत प्रकरणों के निस्तारण हेतु नामित चकबन्दी अधिकारी का नाम	लम्बित प्रकरण		योग
		उपधारा (1) के अन्तर्गत प्राप्त	उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राप्त	
1	2	3	4	5